लघका संविधान अन्तर्गत अल्पसंख्यक के अधिकार

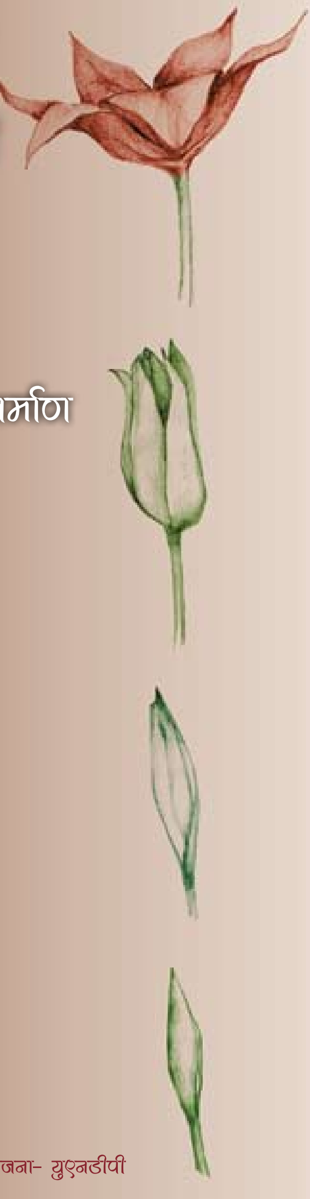

नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला
७

CCD
Centre for
Constitutional Dialogue
संवैधानिक संवाद केन्द्र

थारु

नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजना- युएनडीपी

प्रकाशक

संवैधानिक संवाद केन्द्र
पैहैन्का संस्करण : २०६५ साल

प्रतिलिपि अधिकार © संवैधानिक संवाद केन्द्र सर्वाधिकार सुरक्षित छै। सामग्रीके स्रोत के रूपमे संवैधानिक संवाद केन्द्रप्रति साभार व्यक्त कैरके गैरव्यवसायिक प्रयोजनके लेल यी पुस्तिकाके अंश सब पुनः प्रकाशन और / या उल्था कैर सकैछै। तेहेन पुनः प्रकाशन और / या उल्था के एक प्रति संवैधानिक संवाद केन्द्रके उपलब्ध कराइले परतै।

सिंगारपेटार या छपाइ

प्रिन्ट प्वाइन्ट पब्लिसिङ, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं।

थप जानकारी या यै पुस्तिकाके लेल तरमे लिखल ठाममे सम्पर्क राखिहे :

संवैधानिक संवाद केन्द्र
तेसर ओ चौठा तल्ला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, बुद्धनगर, काठमाडौं।
टेलिफोन नं. : ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८
ई-मेल : info@ccd.org.np
वेबसाइट : www.ccd.org.np

लबका संविधान अन्तर्गत अल्पसंख्यक के अधिकार

शृङ्खला ७

लबका संविधान अन्तर्गत अल्पसंख्यक के अधिकार १
व्यक्तिगत अधिकार कथि चियै ? १
नेपाल व्यक्तिगत अधिकार के केहेन के लेने छै ? २
अल्पसङ्ख्यक अधिकार के बारेमे विशेष वात कथि छै ? ३
नेपाल मे संरक्षण ककरा आवश्यक छै ? ४
अल्पसंख्यक के अधिकार के सम्बन्ध मे संविधान सभा के विकल्पसब कथी कथी छै ? ५
मानव अधिकार के विश्वव्यापी घोषणा मे पहिचान करलाहा व्यक्तिगत अधिकारसब कथि कथि चियै ? ७

लबका संविधान अन्तर्गत अल्पसंख्यक के अधिकार

नेपाली जनता आपन लबका संविधान बन्यारहल छै। उसब संविधान सभा के आपन प्रतिनिधि सबसे संविधान मार्फत अल्पसंख्यक के अधिकारसब संरक्षण करल और शताब्दीयौं से हैत भेदभाव अन्त्य कर्‍याल सुनिश्चित करल चाहैछै।

यी महत्वपूर्ण काम करैके लेल संविधान सभा के यी पाँच बातमे ध्यान दिये परतै :

१. व्यक्तिगत अधिकार कथि चियै ?
२. व्यक्तिगत अधिकार के सम्बन्ध मे नेपालके संविधान अखन की कहैछै ?
३. अल्पसंख्यक के अधिकार के सम्बन्ध मे विशेष वात कि छै ?
४. नेपाल मे ककरा संरक्षण चाहैछै ?
५. अल्पसंख्यक के अधिकार के सम्बन्ध मे संविधान सभा के विकल्पसब कथि कथि छै ?
६. मानव अधिकार के विश्वव्यापी घोषणामे पहिचान करलाहा व्यक्तिगत अधिकार सब कथि कथि चियै ?

१. व्यक्तिगत अधिकार कथि चियै ?

अधिकार के विषय के धारणा स्वचालित (Automatic) छै। यी येहेन वात चियै, जकर लेल तोरौर के लड नै परतै। यी तोहार हेतौ आ तोरौर से छिनैले नै सक्तै।

व्यक्तिगत अधिकार सब तोरौर के चियौ कथिले त तुँसब मानव चिही। उदाहरणके लेल प्रत्येक लोकके बँधुवा बनैले नै पावनाई, यातना नै पावनाई, सम्पत्ति राखैले पावनाई, विवाहके और परिवारके आ शिक्षाके अधिकार हैछै। यी अधिकारसब प्राप्तिके लेल कोनो निश्चित समूह के अंग बनैके आवश्यक नै छै। सैबके चियै।

व्यक्तिगत अधिकारसब मानव अधिकार के विश्वव्यापी घोषणा मे परिभाषित छै। दोसर विश्वयुद्ध के क्रम मे एसिया लगायत समस्त विश्व के त्रासदीपूर्ण दुःखद अनुभवसब के वाद संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा वकर पैहैलका काम के रुपमे यी महत्वपूर्ण घोषणा ग्रहण करने छेलै।

मानव अधिकार कै विश्वव्यापी घोषणा से यैसे पहिचान करलाहा अधिकार सब प्रत्येक व्यक्तिके लेल चियै कहैछै। यी व्यक्तिगत अधिकारसब तोहर से छिने नै सकैये आ तोहर जाइत, वर्ण, लिङ्ग

या भाषा के कारण तोरा दै से अस्वीकार नैकरतै । तुँ कोन धर्म मानैचि, तोहर के राजनीतिक आस्था कथि चियौ, तोहर जन्म कते भेल्छौ या तोहर सामाजिक अवस्था केहेन छै, यी सरोकार नै राखैछै । तुँ अल्पसंख्यक समूहके सदस्य भेलासे यै मे फरक नपारैछै । तोहर के अधिकार तोरे के चियौ और तोहर से यी सब छिनैके अनुमति कानून सोहो नै दैछै । यै पुस्तिकाके अन्तमे तुँ मानव भेलाके कारण तोहर के पावल अधिकार सबके पूर्ण सूची देल छै ।

मानव अधिकार के विश्वव्यापी घोषणा नेपाली मे अध्ययन करैके लेल कृपया यै वेबसाइट मे गेलज्या: **http:// www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/ Language.aspx ? Lang ID= nep**

और महत्वपूर्ण दस्तावेजसबके अध्ययन के लेल संवैधानिक संवाद केन्द्र के वेबसाइट **http:// www.ccd.org.np/en/** मे गेलज्या ।

२. नेपाल व्यक्तिगत अधिकार के केहेन के लेने छै ?

नेपाल सन् १९४८ मे संयुक्त राष्ट्रसंघ मे मानव अधिकार के विश्वव्यापी घोषणा मे मतदान नै करने छै तैयो यी सैब मानवके हकमे लागू हैवला हैके कारण से नेपाली मे सोहो लागू हैछै और मानव अधिकारसबके कानूनी संरक्षण करैके लेल सन् १९६६ मे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नागरिक आ राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध (महासन्धि) के तर्जुमा करल कै । नेपाल वि.सं. २०४८ मे यै मे हस्ताक्षर करलकै तै मे नेपालीसब गर्व कैर सकैछै ।

यैसे यै अधिकारसबके बौहते कानूनी आधार प्रदान करलकै । लेकिन सैबके थाह भेल्हा बात यी चियै कि कानूनमे मानव अधिकार के व्यवस्था करनाई से मात्रे अधिकार संरक्षित हैछै से वातके सुनिश्चित नै करैछे । प्रजातन्त्र के संघर्ष आ जनयुद्ध के क्रममे व्यक्तिगत अधिकार के हनन भेलासे बहुत जनतासब कष्ट पेल्कै ।

अखैन प्रचलन मे रहल नेपालके अन्तरिम संविधान, २०६३ मे यी व्यक्तिगत अधिकारसब संरक्षित छै । यकर अर्थ यी अधिकारसब संगे बाझहैबला या दैके अस्वीकार करैके कानून नै बैन सकैछै, और राज्य के कोनो भी अधिकारी सब कर्मचारी सैनिक, प्रहरी अधिकृत, न्यायाधिश कोनो नेपालीके वकर मौलिक मानव अधिकार के गैरकानूनी रुपमे दैके अस्वीकार नै कैर सकैछै से चियै । लेकिन अखनो भी येहेन अधिकार सबके रक्षामे सरकार प्राय: असफल हैछै और बहौत नेपाली के अधिकार सब प्रंत्येक दिन हनन भ्यारहल छै । यै पुस्तिका मे हमे लवका संविधान से नेपाली जनताके अधिकारसबके पहचान मात्रे नै कैरके नयाँ नेपालमे तै सबके सक्रिय रुपमे केनङके संरक्षण कैर सकैछै वै बारेमे कुछ कहवै ।

३. अल्पसङ्ख्यक अधिकार के बारेमे विशेष बात कथि छै ?

आधारभूत अधिकार : यदि अपने अल्पसंख्यक समूह के सदस्य चिही त (या हमे यकर बारेमे यै पुस्तिकामे पछा चर्चा करबै) तोहर संगे के दुई किसिमके अधिकार सब (रहल) छै । प्रथमतः अपनेके साथ औरोके प्राप्त भेल लखा आधारभूत अधिकार सब छै और यैमे अल्पसंख्यक अवस्थाके कारण तोहर के भेदभाव नै करैके अधिकार भी परैछै । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सब अनुरुप नेपालके संविधान तोहर अल्पसंख्यक के अवस्थाके कारण तोहर विरुद्ध विभेद करैके कानून सब अमान्य है के वात सुनिश्चित करने छै ।

सकारात्मक अधिकार : लेकिन नेपाल यै से अगा बरहल छै । सन् १९७१ जनवरीमे नेपाल औरो राष्ट्रसब संगे सैब किसिमके जातीय भेदभाव उन्मूलन करैके महासन्धिमे सहभागी भेलै । यै कानून अन्तर्गत नेपाल अल्पसंख्यकसब विरुद्ध भेदभाव नै करैके आपन प्रतिबद्धता से अगा गेलछै । यी जे छै जाइत या वर्ण, या वंश या राष्ट्रियता या जातीय उत्पत्तिके आधारमे हैवला सैब किसिमके भेदभाव सबके भर्त्सना करैछे । यी जे छै नेपालमे यै किसिमके सैब भेदभाव सवके अन्त्य करैके लेल सकारात्मक कदम चालैके वातमे सहमति जनाइने छै ।

नेपालके अन्तरिम संविधान से ऐतिहासिक रुपमे बहुते जनता नैनिकसे विभेदमे परल वातके स्वीकार करने छै । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, पिछरलहा और अल्पसंख्यक समुदाय के समस्या सबके सम्बोधन करैके लेल समग्र राज्यके पुनःसंरचना करैके प्रतिवद्धता अन्तरिम संविधानसे करने छै । यी वर्गीय, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक आ धार्मिक आधारमे हैवला भेदभावके अन्त करैत या सीमान्तीकृत समुदायसबके उत्थान के लेल विशेष उपाय सब अवलम्बन करैछै ।

हम और अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसब आ मापदण्डसब भी उल्लेख कैर सकैचियै, जैसे निश्चित समूहके जनताविरुद्ध भेदभाव करैके कामके रोकै छै । संयूक्त राष्ट्र संघ अल्पसंख्यक सबके अधिकार के सम्बन्धमे कुछ महत्वपूर्ण मापदण्डसब ग्रहण करने छै । नागरिक आ राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध (१९६६), आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध (१९६६), सैब किसिमके जातीय भेदभावके अन्त्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध (१९६६) से यै सम्बन्धमे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के केन्द्रीय निकाय के निर्माण करैछे । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) के आदिवासी आ जनजाति सम्बन्धी अनुवन्ध, १९८९ (१६९ नम्बर) और सन् २००७ मे महासभासे पारित आदिवासी जनजातिके अधिकार के सम्बन्धमे संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा मे आदिवासी जनजातिके सरोकार के महत्वपूर्ण मापदण्ड सब (वैसबके अल्पसंख्यक के अवस्थाके बाबजुद) उल्लेख भेलछै और यै शृङखलामे अन्यत्र व्याख्या करल छै ।

समूहके अधिकारः लेकिन कानून से अल्पसंख्यक के अधिकारप्राप्त करैवाला सदस्यसबके कहियो कहियो समूहके रुपमे अभ्यास कैर सकैके विशिष्ट निकायके अधिकार प्रदान करैके वात अल्पसंख्यक के अधिकार के सम्बन्धमे विशेष वात हैछै और वैसबके यै सामूहिक अधिकार के अभ्यास के लेल राज्यसे विशेष उपाय अवलम्बन करैके आवश्यक परैछै । अन्तर्राष्ट्रिय कानून कहैछै **"जातीय, धार्मिक अल्पसंख्यकसब रहल राज्यसबमे तेहेन अल्पसंख्यकमे परैवला व्यक्ति सबके वकर समुदायके और सदस्यसबसंङे समुदाय मे वैसवके आपन संस्कृति अवलम्बन करैले, आपन धर्म मानैले और अभ्यास करैले , या आपन भाषाके प्रयोग करैसे बन्चित नै करतै ।"**

४. नेपाल मे संरक्षण ककरा आवश्यक छै ?

नेपालमे हिन्दु धार्मिक बहुसंख्यक छै लेकिन ओहो सब सोहो जाइत, जातीयता या भाषिक आधार मे विभाजित छै । यी धार्मिक बहुसंख्या बाहेक संख्यात्मक रुपमे बहुसंख्यक रहल एकोटा समूह नै छै । नेपालमे आदिवासी जनजाति, निचला जाईतके समूह, महिला आ प्रभुत्वमे रहल धर्म मे नैपरलसबके विरुद्ध भेदभावके नम्हर परम्परा रैह येल्छै । बहौत दिनतक यी कानूनी रुपमे मान्य आ औरो सोहो सरकारद्वारा लागू करने छेलै । २०५८ के राष्ट्रिय जनगणना से १०० टा अल्पसंख्यक समूह सब रहल देखाइने छै ।

आदिवासी जनजाति अल्पसंख्यकसव : २०५८ के राष्ट्रिय जनगणना अनुसार आदिवासीसव (आदिवासी या जनजातिके रुपमे चिन्लाहा) नेपालके कुल जनसंख्याके ३७.२ प्रतिशत रहल छै । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ लागु कैरके नेपाल ५९ टा जाईत सवके आदिवासी समुदायमे पहिचान कैरके वैसबके मानता देने छै । वै कानुन अनुसार "आदिवासी जनजाति कहैके अर्थ आपने मातृभाषा आ परम्परागत रीतिरिवाज, अल्गे सांस्कृतिक पहिचान, अल्गे सामाजिक संरचना, और लिखित आ मौखिक ईतिहास भेल्हा जातीय समूह या समुदाय" के जनावैछै । वैसब मे से चाइरटा (मगर, थारू, तामाङ, नेवार) के १० लाख से ३० लाख ६० हजार के विचमे और पाँच टा के एक लाख से १० लाख के बीचमे जनसंख्या रहल छै। बहुतोके एक हजार से कम सदस्य रहल छै। ७५ जिल्लासब मे से ३० टा मे आदिवासी जनजाति समूह ५० प्रतिशत से उपर रहल छै। लेकिन पाल्पा (मगर), रसुवा .(तामाङ), भक्तपुर (नेवार) आ मनाङ (गुरुङ) मात्रे एकटा आदिवासी जनजाति समूहके बहुमत रहल जिल्ला सव चियै ।

भाषिक अल्पसंख्यकसब : नेपालमे बोलैवला भाषासव ९२ टा रहल छै । सामान्यतः खस (नेपाली) बाहेक के सैब भाषासव अल्पसंख्यक के भाषा मानै छै। २०५८ के राष्ट्रिय जनगणना मे कुल जनसंख्या के आधा से थोरबेहेक कमसे नेपालीके वैसबके प्राथमिकता के भषाके रुपमे अपनेने

(रोज्ने) छै । अन्य नम्हरका भाषिक समूहमे मैथिली (१२.३०%), भोजपुरी (७.५३%), अवधि (२.४७%), उर्दू (०.७७%), आ हिन्दी (०.४७%), थारू (५.८६%), तामाङ (५.१९%), नेवार (३.३६%), मगर (३.६३%), गुरुङ्ग (१.४९%) और लिम्वु (१.४७%) रहल छै । बाँकी रहल अन्यमे प्रतिशत ६.८२% रहल छै ।

धार्मिक अल्पसंख्यकसब : २०६३ मे अन्तरिम संविधान से धर्मनिरपेक्ष घोषणा नै करैतक नेपाल हिन्दु राज्य छेलै । २०५८ के जनगणना से नेपालके जनसंख्याके ६ टा श्रेणीमे राख्ने छै : हिन्दु, बुद्ध, मुस्लिम, क्रिस्चियन, किराँत, और अन्य । हिन्दु (८०.६२ प्रतिशत) और ओकर वाद बुद्ध (१०.४७ प्रतिशत, मुस्ताङ, मनाङ आ रसुवामे बहुसंख्यक), मुस्लिम (४.२ प्रतिशत), किराँत (३.६ प्रतिशत पाँचथरमे बेसिसंख्यामे, क्रिस्चियन (०.४५ प्रतिशत) और अन्य (शिख, बहाई, वोन, शमानिका और प्रकृतिपूजक ०.४ प्रतिशत रहल छै ।

दलित : १९ वाँ शताब्दी के बीच से २०४७ मे औपचारिक रुपमे जातीय विभेदके खारेजी नै भेलतक जाईत प्रथा कानुनी रुपमे परिभाषित संरचनाके रुपमे रहल छेलै । नेपालके दलित सब येहेन समुदायसब चियै जे वहुते गम्भीर जातीय विभेद और हिन्दु जातीय पद्धतिभितर अछुत के रुपमे दुर्व्यवहार के सामना कैर रहल छै । राष्ट्रिय दलित आयोग से दुई दर्जन के दलित समूहके रुपमे सूचिवद्ध करने छै । २०५८ मे नेपालके कुल जनसंख्या के १२.९ प्रतिशत दलित छेलै लेकिन कोनो एकेटा जिल्लामे भी वैसबके बहुमत रहल नै छै । दलितसब आफ्ने सामाजिक और जातीय समूहमे विभाजित छै आ दलित सवके विभिन्न समूहसबकेबीच भेदभावपूर्ण अभ्यास विद्यमान छै ।

महिला : महिला अल्पसंख्यक नै छै तैयो (महिला कुल जनसंख्याके ५० प्रतिशत से बेसी छै) उसब नेपालमे परम्परागत रुप मे भेदभाव मे पारल छै । महिला कानून मार्फत (पैतृक सम्पत्ति के प्राप्ती, विदेशी श्रीमान के नागरिकता प्रदान करैमे सीमासब) प्रथा और सामाजिक अभ्यास मार्फत विभेद मे परल छै । महिलासब पुरुष के तुलना मे अशिक्षित, गरिब और उच्च मृत्युदरमे छै । यै बातके विचार करला से महिलासब ऐतिहासिक रुपमे सीमान्तीकृत भेलछै और महिला अधिकार के कानून अन्तर्गत विशेष संरक्षण प्रदान करनाई आवश्यक छै ।

९. अल्पसंख्यक के अधिकार के सम्बन्ध मे संविधान सभा के विकल्पसब कथी कथी छै ?

संविधान सभा के, सामाजिक समावेशितामे प्रतिवद्ध धर्मनिरपेक्ष, प्रजातान्त्रिक आ संघीय नेपाल सिर्जना करैले संविधान के मस्यौदा तयार करैके कार्याधिकार प्रदान करल छै । यैसे संविधान

सभाके दस्तावेज से उपर उइठ के नेपाल के सैब धर्म, भाषिक समुदाय और महिला वर्गके समान रुपसे व्यवहार करैत उसैबके समान पहिचान स्थापति कैरके राष्ट्रिय जीवन के सैब पक्षमे उसबके अवसर प्रदान करैके बात सुनिश्चित करैके संघसंस्था या संयन्त्रसब स्थापना करैके अवसर देतै । संविधान अन्तर्गत समान संरक्षण सुनिश्चित करैके लेल और उपायसब अवलम्बन कैर सकैछै ।

१. **संङ्घीयता :** संङ्घीयताके एकटा उद्देश्य एकेटा राष्ट्र स्थापना कैरके धार्मिक, भाषिक, जातीय/जनजाति या आदिवासी समुदायसबके देश के शासन व्यवस्था मे सहभागी है ले सकैवला राज्य या प्रान्त सबके सिर्जना करनाई चियै । संघियता मार्फत प्रान्त या राज्यसबके आपने कार्यकारिणी, विधायिकी और न्यायिक प्रणाली स्थापना करैकै अधिकार प्राप्त भ्या सकैछै, तकरवाद आपन जनताके चाहना आ अधिकार के निक संरक्षण करैके लेल उ एकाईसब सक्रिय भ्यासकैछै । प्रान्त या राज्यके यी एकाईसब सैब नागरिकसब– महिला या पुरुष, जाईत आश्रम या जनजाति समूहसब –के सरकारमे सहभागिता के लेल अवसर सोहो प्रदान करैछै । संघीयता और स्वायत्तता के व्यवस्थापनसब नेपालके विविधता के पहिचान कैरलेनेछै कैहके सुनिश्चित करैके अवसर सिर्जना करैछै । लेकिन भेदभाव नै हेतै से बातके सुनिश्चितता के लेल कानुनी और प्रशासनिक संयन्त्रसब स्थापना करैले परैछै ।

२. **निर्वाचन प्रणाली :** संविधान सभा अल्पसंख्यक समूहसबके वैसबके जनसंख्या के आधार मे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करैके निर्वाचन प्रणाली के बारेमे विचार कैर सकैछै । समानुपातिक प्रतिनिधित्व येहेन निर्वाचन प्रणाली चियै, जे अल्पसंख्यक के हितके संरक्षण करैले पहल करैछै । निर्वाचन प्रणाली के राष्ट्रिय और प्रान्तीय या राज्यके विधायिकासबसे वैसनका सरकारसबमे अल्पसंख्यक समूहसबके प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करैके लेल सिट प्रदान करैके बिषय मे विचार कैर सकैछै ।

३. **संवैधानिक प्रावधान :** मौलिक अधिकार के भागमे समावेश भेल्हा मानव अधिकार या अल्पसंख्यक अधिकार के बल्गर प्रावधानसबसे अल्पसंख्यकसबके व्यक्तिगत या सामूहिक अधिकार सब हरदम संरक्षित रहतै से वातके प्रत्याभूति करतै । लेकिन यी प्रतिबद्धतासब व्यवहार मे कार्यान्वयन भेल वात सुनिश्चित करैले कानूनी प्रावधान बाहेक राष्ट्रिय आ स्थानीय तहमे मानव/अल्पसंख्यक अधिकार आयोग लखा निकायसब हैले परतै । सकारात्मक पहलके प्रतिबद्धता से विपन्न अल्पसंख्यक समूहसबके वैसबके उत्थानके लेल अवसर हेतै तै वातके प्रत्याभूति करतै ।

यकर बाहेक राज्यके नीति आ निर्देशक सिद्धान्त के भागमे अल्पसंख्यक के अधिकार के पहिचान आ वैसबके उत्थानके प्रतिबद्धतासे राज्य के विभिन्न क्षेत्रगत नीतिसबमे जेना कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीमे, राज्यसे अल्पसंख्यकसबके कि प्रदान करतै तै वातके सूचकसब निश्चित करतै । तैदुवारे संविधान निर्माण प्रक्रिया अल्पसंख्यकसबके वैसबके अधिकार के सम्बन्ध मे

बोलैके आ आपन बातसब राइख सकैके अवसर सिर्जना करैछै। यैसे अल्पसंख्यकसबके संरक्षण और उत्थान के लेल संरचना तयार करैके राज्य के उत्तरदायित्व पूरा करैके लेल राज्य के सोहो अवसर प्रदान करैछे।

६. मानव अधिकार के विश्वव्यापी घोषणा मे पहिचान करलाहा व्यक्तिगत अधिकारसब कथि कथि छियै ?

नागरिक आ राजनीतिक अधिकारसब

धारा ३	प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन, स्वतन्त्रता और सुरक्षाके अधिकार
धारा ४	दासत्व या बँधुवा प्रथासे मुक्ति
धारा ५	यातना आ क्रुर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्डसे मुक्ति
धारा ६	कानून के नजर मे व्यक्ति के रुपमे मानता पावैके अधिकार
धारा ७	कानून अन्तर्गत समान संरक्षण के अधिकार
धारा ८	प्रभावकारी न्यायिक उपचारके अधिकार
धरा ९	स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, थुना या देश निकाला से मुक्ति
धारा १०	स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण से निष्पक्ष आ खुला सुनवाइके अधिकार
धारा ११	दोषी नै ठहरैत तलिक निर्दोष मानैके अधिकार
धारा १२	चुपेचापे (गोप्यता), परिवार, घर या पत्राचारमे स्वेच्छाचारी हस्तक्षेप से मुक्ति
धारा १३	आगमन (आवतजावत) आ बसोबास के स्वतन्त्रता
धारा १५	राष्ट्रियता सम्बन्धी अधिकार
धारा १६	विवाह करैके और परिवार बनवैके अधिकार
धारा १७	सम्पत्ति राखैके अधिकार
धारा १८	वैचारिक ,सदविवेक आ धार्मिक स्वतन्त्रता
धारा १९	विचार आ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
धारा २०	शान्तिपूर्वक जम्मा हैके आ संस्था खोलैके अधिकार
धारा २१	आपन देश के सरकार मे सहभागी हैके और आपन देश के सरकारी सेवा मे बरबैर (समान) पहुँच प्राप्त करैके अधिकार

आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकारसब

धारा २२	सामाजिक सुरक्षा के अधिकार
धारा २३	काम करैके अधिकार और बरबैर कामके लेल बरबैर पारिश्रमिक के अधिकार

धारा २४ विश्राम आ फुर्सत के अधिकार

धारा २५ स्वास्थ्य आ कल्याण के लेल पर्याप्त स्तरयुक्त जीवनयापन के अधिकार

धारा २६ शिक्षा के अधिकार

धारा २७ समुदाय के सांस्कृतिक जीवन मे सहभागी हैके अधिकार

विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा ३६० टा भषा (नेपाली सहित) मे पढ़ैके लेल वेबसाइट **http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx** देखियेहे ।

जाइतके या जनजातिवाला, धार्मिक आ भाषिक अल्पसंख्यकसबके लेल घोषणापत्र मे सुनिश्चित भेल अधिकारसब

धारा २.१ : आपन संस्कृति मानैले पावैके, आपन धर्म अवलम्बन करैले पावैके और आपन भाषा प्रयोग करैले पावैके अधिकार

धारा २.२ : सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवनमे सहभागिता के अधिकार

धारा २.३ : आपन समूहके सम्बन्धमे हैके राष्ट्रिय या स्थानिय निर्णय प्रक्रिया मे सहभागी हैके अधिकार

धारा २.४ : संगठित हैके अधिकार

धारा २.५ : आपन समूह के सदस्यसबसंडे और अन्य अल्पसंख्यक समूहके व्यक्तिसबसंडे सम्बन्ध राखैके या सम्पर्क बन्याके राखैके अधिकार

धारा ३ : बिना भेदभाव अधिकार के अभ्यास करैके स्वतन्त्रता

घोषणापत्र पढ़ैके लेल कृपया **http://www2.ohchr.org/english/law/minorities.htm** देखियेहे ।

पोष्टा शृङ्खला के विषय मे

संविधान सभा के सदस्यसव या इच्छुक और सैब के संविधान बनाइ के तौर तरिका विषयमे आधारभुत जानकारी देनाई यी किताब श्रृङखला के उद्देश्य चियै । यी प्रकाशनसव संवैधानिक परिणाम के लेल कोनो भि किसिम से पैहने अनुमान करैले, अवधारणा पत्र, प्रस्ताव या मनसाय नै चियै । यी श्रृङखला संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) के “नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण के लेल मदैत्त” (एससिविएन) परियोजना के समन्वय मे नेपाली आ अन्तरराष्ट्रिय संविधान विद्सब के सक्रिया कोशिस के प्रतिफल चियै ।

यै किताबसव के और निक बनाइले प्रतिकृया या टिप्पणी (आपन आपन बिचार) के लेल विशेष किसिम से आग्रह करल गेल छै । बेसी से बेसी सु- सज्जित जानकारी, प्रतिबद्ध या रचनात्मक छलफल, राय सल्लाह के प्रोत्साहित करैले यी प्रकाशनसब सफल हेनँइ से आपन सोंचल परिणाम (आशातित् उद्देश्य) के प्राप्ति हेतै । पाबलहा टिप्पणी सव के आधार मे यी किताबसब के लबका या थप सँस्करणसब तयार क्याल ज्या सकतै ।

यी श्रृङखला के नेपाल के डिगा (मुल मुल) भाषासब मे उल्था करैके सिलसिला मे निक गुणस्तर कायम रखनाई के साथे ओइ भाषा के बेसी से बेसी लोकके बुझ्है के लेल ठिक शब्दावली प्रयोग करैले अधिक से अधिक प्रयास करल गेलछै ।

शबद सब के उचित आ सहि प्रयोग के लेल और और भाषिक समुदायसब के बिच मे भविष्य मे छलफल या बहस हैके आश कैर सकै चियै । संबैधानिक सम्बाद केन्द्र के उद्देश्य वेहने बहससब के कोनो भि किसिम के छहाइर मे नै राखैके, बल्की वै भाषा सबके समावेश करैके यै प्रयासमे समावेशिता या पहौंच के बेसी से बेसी वृद्धि करनाई चियै ।

देश के संविधान बनाइके लेल सान्दर्भिक बिषयवस्तु सबके, संवैधानिक संवाद केन्द्र से तैयार करैले लागल श्रृङखलाबद्ध पाठ्य सामग्रीसबके एकटा अंश यी किताब चियै ।

सभासद्सब के साथे साथे यै विषयमे इच्छुक आ सर्वसाधारण सैब के मूल संवैधानिक अवधारणा और मुद्दासव मे सहभागी करेनाई यै सिकरीबद्ध प्रकाशन के उद्देश्य चियै । श्रृङखला अन्तरगत के सैब कनकि किताब नेपालमे बोलैवला डिगा भाषासब (नेपाली, थारू, मैथिली, भोजपुरी, मगर, तामाङ्ग, नेवार) आ अंग्रेजी भाषा मे उपलब्ध छै । यी किताब के सुनै के लेल (क्यासेट, डिभिडी) सोहो उपलब्घ हैके साथे यै सब के अनलाइनो मे राखल गेल छै ।

पहौनका दाइब यै प्रकाशन श्रृङखला मे रख्लहा बिषय बस्तु येनङ छै । राज आ धरम, संघीय प्रणाली (प्रगणा), संविधान मे मानव अधिकार, आदिवासी जनजाति के अधिकार, कनहिके जनसंख्यावला के अधिकार, सरकार के प्रणालीसब स्वतन्त्र कचहैरी (न्यायपालिका), स्थानिय स्वशासन, विविधता आ सामाजिक समावेशिकरण आ सहभागितामूलक संविधान बनाइके तौर तरिका ।

संवैधानिक संवाद केन्द्र
तेसर ओ चौठा तल्ला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, बुद्धनगर, काठमाडौं
टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८
ई-मेल : **info@ccd.org.np**
वेबसाइट : **www.ccd.org.np**